# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-16/2023 दिनांक- 12 -जनवरी- 2023

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना जहानागंज**

**हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-**

थाना स्थानीय के वादी श्री राजेश कुमार पुत्र लालचन्द ग्राम बड़ौरा खुर्द पो0 बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने शिकायत किया कि दिनांक 03.01.2023 को विपक्षी 1. राजकुमार पुत्र भगेलू, 2. दीपक उर्फ अमित, 3. मनीष उर्फ डम्पी, 4. सतिस उर्फ पम्पी पुत्रगण राजकुमार 5. आशा पत्नी राजकुमार, निवासीगण बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ 6. अल्का (दीपक की साली) द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डे व धारदार हथियार से जान मारने की नियत से वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा व उसके परिवार के कौशिल्या, राकेश व बबिता व अंकित तथा अंकुर को काफी बुरी तरह से मारना पीटना जिससे वादी की पत्नी कौशिल्या की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध मे दिया गये तहरीर पर मु0अ0सं0 09/23 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 452 भादवि बनाम 1. राजकुमार पुत्र भगेलू, आदि 06 नफर पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण:**

दिनांक-12.01.2023 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी में परदेशी मोड़ के पास मौजूद था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक उर्फ अमित पुत्र राजकुमार निवासी बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ को किशुनपुर मोड़ के पास से समय करीब 11.10 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 09/23 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 452 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. दीपक उर्फ अमित पुत्र राजकुमार निवासी बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास –मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

**थाना जहानागंज**

**वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना- वादीनी श्रीमती अतवारी देवी पत्नी बासू राम निवासी सिसवा पो0 बछवल थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ दिनांक 11/01/2023 को थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 10.01.2023 को विपक्षी अखिलेश उर्फ जवाहिर पुत्र नेबू राम (पति) 2. बेचनी देवी पत्नी नेबू राम (सास) 3. बेबी देवी पुत्री नेबू राम (ननद) निवासीगण करनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री पूजा उम्र 28 वर्ष को दहेज के लिए प्रताडित किया गया तथा मारपीट कर फांसी लगा कर हत्या कर दिया गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 19/23 धारा 498ए, 323, 304बी भादवि व ¾ डीपीएक्ट बनाम 1. अखिलेश उर्फ जवाहिर आदि 03 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण:** दिनांक- 12.01.2023 को उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अखिलेश उर्फ जवाहिर पुत्र नेबू राम उम्र करीब 28वर्ष 2. बेचनी देवी पत्नी नेबू राम पति नेबू राम उम्र करीब 58 वर्ष 3.

बेबी पुत्री नेबू राम पति नेबू राम उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण करनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को परदेशी मोड़ के पास समय करीब 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोगः-**

1-मु0अ0सं0 19/23 धारा 498ए, 323, 304बी भादवि व ¾ डीपीएक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

अपराधिक इतिहास....मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1.अखिलेश उर्फ जवाहिर पुत्र नेबू राम उम्र करीब 28वर्ष

2. बेचनी देवी पत्नी नेबू राम पति नेबू राम उम्र करीब 58 वर्ष

3. बेबी पुत्री नेबू राम पति नेबू राम उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण करनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण**

1-उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 12.01.2023 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा नसीरपुर चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति नसीरपुर नहर पुलिया पर बैठकर किसी का इन्तजार कर रहा है जिसके पास अवैध तमंचा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर नसीरपुर नहर पुलिया के पास से उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम नूर आलम उर्फ मुन्ना पुत्र शमशाद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया जिसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। नूर आलम उर्फ मुन्ना उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3/25 श्स्र अधि बताकर समय 07.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. नूर आलम उर्फ मुन्ना शमशाद सा0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-**

1. 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

**पंजीकृत अभियोग-**

- मु0अ0सं0 23/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- निजामाबाद

**चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

**1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण** – दिनांक 11.01.2023 को वादिनी श्रीमती शीला गुप्ता पत्नी तरसू गुप्ता थाना निजामाबाद आजमगढ़ के द्वारा उनके घर में घुसकर बक्शे का ताला तोड़कर 04 साडीं तथा एक लहंगा चुनरी व अन्य कपड़े चोरी कर लिया गया जिसके संबंध में अभियुक्त अजय यादव पुत्र जवाहरलाल यादव ग्राम पाईन्दापुर थाना निजामबाद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/2023 धारा-457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को आज दिनांक 11.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। तथा धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

**2. गिरफ्तारी का विवरण** – प्राप्त सूचनानुसार के अनुसार मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त को वादिनी के द्वारा डायल 112 पर दी गई सूचना पर तत्काल पीआरवी 1027 के कर्म0गण द्वारा मौके पर पहुंचकर पाइन्दापुर गांव के पास से पकड़ कर थाने पर सुपुर्द

किया गया। थाना स्थानीय के उ0नि0 कुलदीप सिंह तथा उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला द्वारा अभियुक्त की निशांदेही पर चोरी गये 03 अदद साड़ी , 02 ब्लाउज, 01 अदद पेटीकोट वादिनी मुकदमा के घर के बगल में खंडहर मकान मे से बरामद किया गया जिसकी पहचान वादिनी द्वारा की गई। अभियुक्त का यह कार्य 457/380/411 भादवि का अपराध पाकर कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में समय करीब 15.25 बजे लिया ।अभियुक्त उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय में किया गया।

**4. पंजीकृत अभियोग -** मु0अ0सं0 011/23 धारा-457/380/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
**5.गिरफ्तार अभियुक्त 1.** अजय यादव पुत्र जवाहरलाल यादव ग्राम पाईन्दापुर थाना निजामबाद आजमगढ़
**6.आपराधिक इतिहास** – मुकदमा उपरोक्त
**7. बरामदगी- 03 अदद साडी, 02 अदद ब्लाउज, 01 अदद पेटीकोट**
**गिरफ्तार करने वाली टीम-**
**1. उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ**
**2. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना निजामाबाद, आजमगढ़**
**3. का0 नवीन मौर्य पीआरवी 1027 थाना निजामाबाद आजमगढ**
**4. हो0गा0 चालक अरविन्द चौबे पीआरवी 1027 थाना निजामाबाद आजमगढ**

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना- देवगांव

आज दिनांक- 12.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 07 आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 48/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप गौड़ पुत्र शीत बसंन्त गौड़ उर्फ सीतू गौड़ निवासी चौकी दौना, थाना देवगांव आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 11 माह के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

## प्रेस नोट

यू0पी0- 112 परियोजना जनपद- आजमगढ़ के पीआरवी का किसी भी सूचना पर पहुंचने का औसत रिस्पॉन्स समय 8.37 मिनट है । वर्ष 2022 में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र का रिस्पॉन्स टाइम क्रमशः 09:14 मिनट व 10:22 मिनट रहा व पूरे जनपद का कुल औसत रिस्पॉन्स टाइम- 09:45 मिनट रहा । जबकि वर्ष 2021 में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र का रिस्पॉन्स टाइम क्रमशः10.33 मिनट व 11.44 मिनट रहा व पूरे जनपद का कुल औसत रिस्पॉन्स 11.04 मिनट रहा । वर्ष 2021 से वर्ष 2022 का रिस्पॉन्स समय 1.59 मिनट तक कम रहा तथा वर्तमान समय का रिस्पॉन्स समय वर्ष 2021 से लगभग 03 मिनट व वर्ष 2022 से लगभग 01 मिनट कम है ।

उल्लेखनीय है कि यू0पी0 112 परियोजना जनपद आजमगढ़ में संचालित पीआरवी वाहनों के सूचना पर पहुचने का समय लगातार कम होता जा रहा है । जिससे यू0पी0 112 परियोजना की कार्य प्रणाली व योजना ने आम जनता का काफी विश्वास अर्जित किया है । यू0पी0 112 परियोजना जनपद आजमगढ़ में संचालित पीआरवी सूचना बहुत ही कम समय में पहुँच जाने के कारण आम जनता द्वारा यू0पी0 112 परियोजना की काफी प्रशंसा की जा रही है । जनपद आजमगढ़ में संचालित पीआरवी वाहनों का वर्तमान में रिस्पॉन्स समय 08.37 मिनट है जो काफी अच्छा है ।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कंधरापुर

आज दिनांक- 12.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना कंधरापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 02/2001 धारा धारा 147/323/335/504/506 भदवि व 3(1) 10 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1.रमपति पुत्र जगदेव (मृतक), 2. रविन्द्र पुत्र रमपति, 3. शैलेश उरफ छांगुर पुत्र विन्धान्चल निवासी कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रेस नोट**

**थाना- निजामाबाद**

**मोबाइल छिनैती के अभियोग में प्रकाश में आये 03 अभियुक्त गिरफ्तार; मोबाइल, तमंचा व 01 कारतूस .315 बोर बरामद**

**1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण** – दिनांक- 11.01.2023 को वादी रामसरन गुप्ता पुत्र हीरालाल निवासी सीधासुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ( लेखपाल) ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी के साथ एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्ति वादी को रोककर वादी का मोबाईल छीनकर भाग गये, के संबंध में थाना निजामाबाद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 015/23 धारा-382 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई। तथा अभियुक्त विपिन यादव पुत्र विजयश्याम यादव निवासी शेखपुर हुसाम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ के पास अवैध तमंचा पाये जाने के संबंध में मु0अ0सं0 16/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

**2. गिरफ्तारी का विवरण** –उ0नि0 कुलदीप सिंह , उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह को सूचना मिली कि लेखपाल के साथ मोबाइल चोरी की घटना घटित हुई थी उससे सम्बन्धित अभियुक्त सीहीपुर पुलिया के पास मौजूद है मौके पर पुलिस बल द्वारा पहुँचकर उन व्यक्तियों को घेर लिया गया तथा पकडे गये व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः 1. विशाल गिरी पुत्र चन्द्रजीत निवासी चडई थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ उम्र लगभग 19 वर्ष , 2. विपिन यादव पुत्र विजय श्याम यादव निवासी शेखपुर हुसाम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष, 3. अर्जुन यादव पुत्र चनरु यादव निवासी डिहवाबारी थाना निजामाबाद आजमगढ उम्र लगभग 19 वर्ष बताया। विशाल गिरी उपरोक्त के पास से मोबाइल रीयल मी बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति विपिन यादव उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति अर्जुन यादव के पास से ट्वाय गन बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम तीनों लोग मिलकर दिनांक 26.12.2022 को समय रात्रि लगभग 7 से 8 बजे के बीच में सेन्टरवा मोड के आगे पुलिया के पास से एक साईकिल सवार व्यक्ति से सीट पर रखे हुये मोबाईल को चोरी कर लिये थे और जब लेकर जाने लगे तो वह पीछा करने का प्रयास किया कि हम लोग यही कट्टा और ट्वायगन दिखाकर उसे डरा कर भयभीत कर दिये और वह वहीं मौके पर रुक गया है हम तीनों लोग मोबाइल चुराकर भाग गये थे। चोरी की गयी मोबाइल को हम लोग मिलकर बेचकर उससे प्राप्त पैसों को बराबर बराबर बाटने वाले थे कि आप लोगों द्वारा पकड लिया गया। अभियुक्त विशाल गिरी उपरोक्त व अर्जुन यादव उपरोक्त को जुर्म धारा 382/411 भादवि का अपराध बताकर तथा अभियुक्त विपिन यादव उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 382/411 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 का अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 14.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा वही पर बरामद मोटर साईकिल अपाची जिसका नम्बर प्लेट टूटा हुआ पाया गया। वाहन उपरोक्त का कागजात माँगा गता तो दिखाने से कासिर रहा जिसे आनलाइन 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**पंजीकृत अभियोग -**

1. मु0अ0सं0 15/23 धारा- 382/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 16/23 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. विशाल गिरी पुत्र चन्द्रजीत निवासी चडई थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ

2. विपिन यादव पुत्र विजय श्याम यादव निवासी शेखपुर हुसाम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

3. अर्जुन यादव पुत्र चनरु यादव निवासी डिहवाबारी थाना निजामाबाद आजमगढ

**आपराधिक इतिहास:**

**1-** मु0अ0सं0 264/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़ बनाम विशाल गिरी पुत्र चन्द्रजीत निवासी चडई थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ

**बरामदगी-**

1- मोबाइल, तमंचा व 01 कारतूस .315 बोर,

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

**1. उ0नि0 कुलदीप सिंह उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना निजामाबाद, आजमगढ**

**2. उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला ( SOG टीम) आजमगढ़**

**3. हे0का0 उमेश यादव हे0का0 सतेन्द्र यादव हे0का0 विनोद सरोज का0 हारिस वासे खां (सर्विलास टीम) का0 अवनीश का0 प्रदीप पाण्डेय आजमगढ**

**4. हे0का0 अवधनाथ यादव का0 विरेन्द्र सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़**